संख्या: 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 टी.सी. I

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग
योजना भवन।

लखनऊः दिनाँकः दिसम्बरः 05, 2014

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य में आधार परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदया,

यूनीक आइडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी आफ इण्डिया की स्थापना देश के समस्त निवासियों को यूनीक आइडेन्टीफिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने के लिए की गई है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आधार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य योजना आयोग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 दिनांकः 04 मार्च, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त को उनके कार्यक्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार तथा समस्त जिलाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है।

प्रदेश में आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था शासनादेश संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 दिनांकः 10–11–2014 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्धारित की गई है। उक्त कार्य हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आर.एफ.क्यू. मूल्यांकन समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उप निदेशक (मण्डलीय), अर्थ. एवं संख्या उक्त समिति के सदस्य–सचिव हैं। इसी प्रकार आधार परियोजना के कार्य के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उक्त समिति के सदस्य–सचिव हैं। उक्त समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से माह के प्रथम सप्ताह में सूचना अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

आधार परियोजना के कार्य को प्राथमिकता पर सम्पादित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त उप निदेशक (मण्डलीय) तथा जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी गण को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव